राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 47/2015

दायर तारीख 01.10.2015

अनवान्

घीसीबाई पुत्री नंदराम जाति मेहर उम्र 65 साल व्यवसाय घरगृहस्थी निवासी बिजौलियां हाल बेगू जिला चित्तौड़गढ (राज0)

.....डिक्रीदार

बनाम

1. केलीबाई विधवा नंदलाल जाति मेहर उम्र 73 वर्ष व्यवसाय घरगृहस्थी निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. नंदू पुत्री नंदलाल जाति मेहर उम्र 41 वर्ष पत्नी भंवरलाल निवासी बिजौलियां हाल रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. रूकमाबाई पत्नी मदनलाल जाति रेगर उम्र 41 वर्ष निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :29/10/2025

डिक्री दिनांक :29/10/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री गिरधारीलाल आचार्य व विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री सुनील जोशी को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि **मौजा ग्राम** बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां स्थित आराजी खसरा न0 887 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी खसरा न0 888 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रस्तुत वादीया के वाद को इसी स्तर पर खारीज किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02 पर

नीज .....Nil.....मुबलिग ..... Nil .....बाबत् .....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की
से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 10 वर्ष 2025 को जारी
गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
ाना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
कमीश्नर	—		फीस कमीश्नर	—	
इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
रिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 47/2015

दायर तारीख 01.10.2015

अनवान्

घीसीबाई पुत्री नंदराम जाति मेहर उम्र 65 साल व्यवसाय घरगृहस्थी निवासी बिजौलियां हाल बेगू जिला चित्तौड़गढ (राज0)

.....वादीया

बनाम

1. केलीबाई विधवा नंदलाल जाति मेहर उम्र 73 वर्ष व्यवसाय घरगृहस्थी निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. नंदू पुत्री नंदलाल जाति मेहर उम्र 41 वर्ष पत्नी भंवरलाल निवासी बिजौलियां हाल रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. रूकमाबाई पत्नी मदनलाल जाति रेगर उम्र 41 वर्ष निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता वादी।
2. श्री सुनील जोशी – अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 29/10/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य वादपत्र **अर्न्तगत आदेश 7 नियम 1 व 3 दि0 प्र0स0 धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीयां कि स्व0 नंदराम पुत्र दयारामजी मेहर एवं स्व0 औकारीबाई पत्नी नंदरामजी मेहर के संसर्ग से उत्पन्न उनकी एकमात्र वैध संतान हैं। वादीया के अतिरिक्त कोई उत्तराधिकारी स्व0 नंदराम एवं औकारीबाई का नहीं है न ही उनका कोई पुरूष गोदपुत्र हैं। स्व0 नंदराम पुत्र दयाराम मेहर के द्वारा अपने पीछे निर्वसीयत छोडी गई कृषि भूमि मौजा बिजौलियां तहसील बिजौलियां की राजस्व ग्राम सीमा में स्थित हो। आराजी खसरा न0 887 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी खसरा न0 888 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा से उक्त भूमि वाके है। नंदराम पुत्र दयारामजी की मृत्यु काफी अर्सा पूर्व हो गई। प्रतिवादी न0 1 व 2 का नंदराम पुत्र दयाराम से कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिवादीयाँ न0 एक नंदलाल पुत्र रघूनाथ मेहर की विधवा एवं प्रतिवादीयाँ न0 2 नंदलाल पुत्र रघूनाथ मेहर की पुत्री है। नंदलाल पुत्र रघूनाथ के प्रतिवादीयाँ न0 2 के अतिरिक्त दो और पुत्र जगनलाल एवं छोटूलाल है। मतदाता सूचि वर्ष 1993 मे नंदलाल पुत्र रघूनाथ के कुनबे का विवरण दर्ज है जो कमांक 580 से 585 तक है। वादीयाँ नंदराम पुत्र दयाराम मेहर की पुत्री होकर उसका विवाह बेगूं निवासी प्यारचन्द मेहर के साथ हुआ है। वादीयां की माता उँकारी विधवा नंदराम उर्फ नंदलाल मेहर की मृत्यु वर्ष 1998 मे हो गई। वर्ष 1993 की मतदाता सूची के कमांक 547 पर उसका नाम दर्ज है। प्रतिवादीयों न0 1 व 2 ने वादीयां के पिता नंदराम पुत्र दयाराम की क्रमशः फर्जी विधवा व पुत्री बनकर

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नामान्तरकरण संख्या 1411 बाबत कार्यवाही करवा अपने नाम खुलवा लिया जिसकी कोई जानकारी
होने दी। उक्त नामान्तरकरण मे नंदलाल पुत्र रघूनाथ के पुत्रो रतनलाल व छोटूलाल का नाम इसलिए
जुड़वा क्योंकि नंदराम पुत्र दयाराम मेहर के कोई पुरूष संतान नही थी इसीलिए दूसरो को उनके
हिस्से की जानकारी नही हो। तत्कालीन पटवारी के साथ यह आपराधिक षडयन्त्र रचा गया। उस
नामान्तरकरण के पृष्ठांकन को जमाबंदी मे रोक लिया ताकि उनके द्वारा किया गया फर्जीवाडा उजागर नही
हो और वादीयां को इसकी जानकारी नहीं होने दी जाये। वादीयों ने जब नंदरामजी व अपनी माता की मृत्यु
पश्चात दिये तब जमाबंदी मे नंदराम पुत्र दयाराम मेहर की खातेदारी परिपेक्ष में वादीया के नाम पर
नामान्तरकरण संख्या 1489 खोल दिया गया जिसका पृष्ठांकन जमाबंदी सम्वत् 2055 से 58 में कर दिया
वादीयों को पूर्व मे प्रतिवादी न० 1 व 2 के नाम पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1411 की कोई
जानकारी नही होने दी गई। नामान्तरकरण संख्या 1489 के यथावत रहते रोटेशन जमाबंदी मे वादीयों की
जानकारी में आने दिया पटवारी हल्का ने वादीयां का नाम जमाबंदी मे लिखना बंद कर दिया व
प्रतिवादी न0 1 व 2 को वादग्रस्त जायदाद की खातेदारी होने का पृष्ठांकन जमाबंदी में कर दिया। जमाबंदी
दर्ज खातेदारी को खारीज करने का अधिकार न तो पटवारी हल्का को है न ही प्रतिवादी न0 4 को है
और भी उनके द्वारा खाते से वादीयां का नाम हटाने का कृत्य किया गया जो पूर्णरूप से विधिक एव
राजस्थान काश्तकारी अधि0 के प्रावधानो के विरूद्ध है। वादीयां जो कि नंदराम पुत्र दयाराम मेहर की पुत्री
होने से वास्तविक उत्तराधिकारी एवं वैध खातेदार है। वह अपना नाम जमाबंदी मे दर्ज अभिलेख कराने की
अधिकारणी है क्योकि प्रतिवादी न0 4 अथवा उसके अधिनस्थ कर्मचारीयो को किसी की भी खातेदारी को
किसी स्तर पर समाप्त करने का अधिकार नही है इसलिए वादीयाँ की खातेदारी को वादग्रस्त कृषि भूमि से
समाप्त होना नही माना जा सकता है न ही विधि के परिपेक्ष मे खातेदारी समाप्त हुई है फिर भी वादीयां
वादग्रस्त जायदाद बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा की डिकी पाने की अधिकारी है। वादीयां को
वादग्रस्त जायदाद का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीयाँ न0 1 व 2 ने
अपने नाम पर फर्जी तरीक्के से दर्ज करवाई गई वादग्रस्त जायदाद को जरिये अवैध व मूलतः शून्य
विक्रयपत्र दिनांक 12–8–2015 से प्रतिवादी न0 3 को विक्रय कर दिया जिसका वादीयों के खातेदारी
अधिकार व कब्जे पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। वादीया वादग्रस्त जायदाद की आज भी खातेदार व
कब्जेधारी है। वादीयाँ यह समझती रही कि वह वादग्रस्त जायदाद की खातेदार है उसने अपनी खातेदारी
भूमि को सिजारे पर काश्त करवाने के लिए राधेश्यामजी श्रोत्रिय निवासी बिजौलियों को वादीयां की माता
की मृत्यु के बाद से दे दिया क्योकि वादीयां अपंग होकर बैगूँ निवास करती है उसके लिए बिजौलियों
आकर वादग्रस्त जायदाद की देखभाल करना संभव नही था। वादीयों को रेवेन्यू रेकर्ड में हेराफेरी कर
प्रतिवादी न0 1 व 2 को खातेदार के रूप में अभिलिखित किये जाने की कोई जानकारी नही हो पाई वह
यह समझती रही कि भूमि उसी के नाम होकर उसका सिजारी उस पर काश्त कर रहा है। दिनांक
18–8–2015 को प्रतिवादी न0 3 ने वादीयां के सिजारी को कब्जा हटाने की धमकी दी तो प्रथम बार ज्ञात
हुआ कि प्रतिवादी न0 1 व 2 ने अपनी खातेदारी मे भूमि में आ जाना बता प्रतिवादी न0 3 को भूमि को
विक्रय कर दिया। प्रतिवादी न0 3 द्वारा भूजबल व पाश्विक बल का उपयोग कर वादीयां के सिजारी का
कब्जा खडी फसल हटा देने के प्रयास मे निरन्तर वादग्रस्त भूमि पर आ रहे है व कब्जा नहीं हटाने की
स्थिति में भूमि फसल सहित हॉक देने की धमकी दे रहे है, इसकारण वादग्रस्त जायदाद से वादीया का
कब्जा हटा दिये जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अगली फसल की बुवाई भी किया जाना संभव नही हो
पायेगा। वादीयां प्रतिवादीगण कमांक 1 से 3 तक के विरूद्ध अपने कब्जे की सुरक्षा एवं काश्त को बचाने व
अवैध अन्तरण को रोकने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारणी है। वादग्रस्त जायदाद न्यायालय
क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायक्षेत्र की सीमा में स्थित होने से वादपत्र काबील समायत न्यायालय श्रीमान् के है। यह
वादकारणदावा दिनांक 18–8–2015 से उत्पन्न हो जारी है।

वादीयां अनुतोष चाहती है कि :– मौजा बिजौलियां स्थित कृषि खातेदारी भूमि आराजी खसरा
न0 887 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा खसरा न0 888 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 6
बिस्वा का वादीयां की खातेदारी मे अभिलिखित किये जाने की डिक्री बहक वादीयां विरूद्ध प्रतिवादीगण ...
सादीर फरमाई जावे। विकल्प मे वादीयां को वादग्रस्त जायदाद का खातेदार घोषित किया जाने हेतु
प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री प्रदान कराई जावे। प्रतिवादीगण कमांक 1 से 3 तक को वादीयां के कब्जे
काश्त मे हस्तक्षेप नही करने वादीयां को बैदखल नही करने भूमि नष्ट प्रायः नही करने हेतु व प्रतिवादी न0
4 को राजस्व रेकॉर्ड मे वादीयां के अतिरिक्त अन्य के पक्ष में परिवर्तन से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से
पाबन्द फरमाया जावे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण ना 03 की ओर से दिनांक 28.06.2016 को अधिवक्ता सुनील जोशी ने UT ली।

उक्त प्रकरण में वादपत्र के साथ ग्राम बिजौलियां कलां के नामान्तरण रजिस्टर की फोटो लिपि प्रस्तुत की हैं जो प्रदर्श – 1 हैं। ग्राम बिजौलियां कलां के नामान्तरण रजिस्टर की फोटो प्रतिलिपि त की हैं जो प्रदर्श – 2 हैं। मौजा ग्राम बिजौलियां कलां की नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 की ी प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं जो प्रदर्श – 3 हैं। मौजा ग्राम बिजौलियां कलां की नकल जमाबन्दी संवत 59 से 2062 की फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं जो प्रदर्श – 4 हैं। मौजा ग्राम बिजौलियां कलां की नकल ाबन्दी संवत 2063 से 2066 की फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं जो प्रदर्श – 5 हैं। मौजा ग्राम बिजौलियां ां की नकल जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 की फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं जो प्रदर्श – 6 हैं। मौजा म बिजौलियां कलां की नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 की फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं जो प्रदर्श 7 हैं। मौजा ग्राम बिजौलियां कलां की नकल जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 की फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत हैं जो प्रदर्श – 8 हैं।

पत्रावली को साक्ष्यवादी के स्तर पर रखा गया। साक्ष्य वादी में PW-1 घीसीबाई पुत्री नन्दराम ति मेहर उम्र 70 वर्ष पेशा कृषि निवासी हाल बेगू जिला चित्तौड़गढ़, PW-2 घीसीलाल पुत्र भवानीलाल ति लौहार उम्र 65 वर्ष पेशा कृषि निवासी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा एवं PW-3 कैलाश चन्द्र पुत्र ालचन्द जाति मेहर उम्र 56 वर्ष पेशा मजदूरी निवासी बेगू जिला चित्तौड़गढ़ के बयान लिये गये जो ामिल पत्रावली हैं।

PW-1 घीसीबाई ने अपनी मुख्य परीक्षा में वाद के तथ्यों को दोहराया जिसका खंडन का धिकार प्रतिवादीगण को हैं जिसमें जिरह के दौरान वादीया ने कथन किया हैं कि यह जमीन नंदलाल ेता दयाराम के नाम की हैं नंदलाल मेरे रिस्तेदार नहीं लगता हैं। एवं केली का आदमी मेरे कुछ नहीं लगता हैं। केली उसकी पत्नी व नन्दु उसकी पुत्री हैं। इस प्रकार वादीयां ने स्वयं नंदराम से अपना कोई रिस्ता नहीं बताते हुये प्रतिवादी 1 व 2 को उसकी पत्नी व पुत्री होना स्वीकार किया हैं। इसके साथ ही कथन किया हैं कि जमीन को श्रौतिय बोता हैं। इसका तात्पर्य हैं कि भूमि पर कभी भी वादीया का कब्जा हा ही नहीं हैं। जमीन को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को रजिस्ट्री से बेचान करने की बात भी नहीं हैं। इस प्रकार वादीया ने स्वयं अपनी मुख्य परीक्षा की जिरह में अपना कब्जा नहीं होना व नंदलाल व नंदराम के वारीसान प्रतिवादीगण का होना कथन किया हैं।

PW-3 कैलाशचन्द ने अपनी मुख्य परीक्षा में नंदलाल व नंदराम का एक होना दर्शित किया हैं। साथ ही जिरह में यह स्वीकार किया हैं कि घीसी बाई के द्वारा फसल काश्त नहीं की जाती हैं व ऐसा कोई दस्तावेज देखकर नही बता सकता जो घीसीबाई पुत्री नंदराम का उल्लेख करती हो। इसका तात्पर्य हैं कि वादीया अपने पक्ष में यह साबित करने में विफल रहीं हैं कि वह नंदराम की पुत्री हैं।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्यवादी में ओर किसी गवाह के बयान नहीं कराये जाने पत्रावली को साक्ष्य प्रतिवादीगण में रखा गया।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 रूकमा बाई पत्नि मदनलाल जाति रेगर उम्र 47 वर्ष पेशा कृषि निवासी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 रूकमा बाई ने अपने बयान में लिखाया कि मैंने दिनांक 12.08.2015 को केलीबाई बेवा नन्दराम और नन्दू पुत्री नन्दराम नि0 बिजौलियां हाल रावतभाटा से एक जमीन आराजी नम्बर 887 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वां व आराजी नम्बर 888 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वां कुल मिला 2 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वां जमीन खरीदी, जिसकी मूल रजिस्ट्री पेश की हैं। मूल रजीस्ट्री की फोटोकॉपी प्रदर्श-DW-1 हैं। जिसे C से D व E से F केली बाई व नन्दू के हस्ताक्षर हैं। व A से B मेरे हस्ताक्षर है। उक्त आराजीयात का नामान्तरण केली बाई व नन्दू बाई के नाम पर था। जिसके फोटो X स्थान पर चस्पा हैं। तहसीलदार बिजोलियां द्वारा पंजीयन किया गया हैं। जिरह प्रतिवादी के दौरान गवाह का सुझाव दिया गया कि नंदराम के दो लड़के ओर हैं, इस पर गवाह द्वारा इंकार किया गया। इस प्रकार स्वयं वादी द्वारा नंदराम के दो अन्य पुत्रों का भी उल्लेख किया गया लेकिन वादी द्वारा किसी भी दस्तावेज में दो अन्य पुत्र रतनलाल व छोटू के नाम अंकित उल्लेखित हैं। जमीन मेरे खाते में दर्ज हैं। रजिस्ट्री पेश हैं। मैंने जमीन प्रदर्श–7 को देखकर खरीदी थी। घीसीबाई का दावा खारीज फरमाया जावें। साथ ही DW-1 रूकमा की जिरह अखंडित रही हैं।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 04 पर

दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से भी केली बाई पत्नी नंदराम, नंदू पुत्री नंदराम बिजौलियां कलां नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होना प्रदर्शित हैं। यह भी उल्लेखनीय हैं घीसी बाई द्वारा नंदराम की पुत्री किसी भी दस्तावेज में अंकित नहीं हैं वादीया द्वारा पेश दस्तावेज में भी केलीबाई व नंदू का ही नाम हैं।

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी एवं बहस पर मनन । साथ में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। राजस्व रेकॉर्ड में भूमि विपक्षीगण के दर्ज हैं। वादीया के नाम भूमि दर्ज नहीं होने से एवं भूमि पर कब्जा वादीया का नहीं होने से प्रस्तुत त्र वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः पत्रावली में सभी तथ्यों को ध्यानमें हुए दावे में आदेश दिए जाते हैं कि :–

–:: आदेश ::–

वादपत्र वादीया अन्तर्गत **धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार** किया जाकर श दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां स्थित आराजी खसरा न0 887 बा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी खसरा न0 888 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 6 बा के सम्बन्ध में प्रस्तुत वादीया के वाद को इसी स्तर पर खारीज किया जाता हैं। उक्तानुसार डिक्री ा जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 29 / 10 / 2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

यालय मोहर

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा